

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल
::आदेश::

भोपाल, दिनांक 21/08/2020

क्रमांक 102d/2344/2020/38/1:- राज्य शासन एतद द्वारा डॉ. श्रीमती शोभा सुद्राम, प्राचार्य, शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय, देवास, जिला देवास को प्रशासकीय आधार पर तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित करते हुये प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, अलीराजपुर में आगामी आदेश तक के लिए पदस्थ किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

dl 21/08
(श्वेता पवार)

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 21/08/2020

पृ.क्रमांक 1021/2344/2020/38/1
प्रतिलिपि-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, म.प्र.,
2. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. भोपाल,
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, इंदौर संभाग, इंदौर, म.प्र.
4. जिला कोषालय अधिकारी, अलीराजपुर
5. प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, अलीराजपुर
6. डॉ. श्रीमती शोभा सुद्राम, प्राचार्य, शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय, देवास
7. गार्ड फाईल में संधारण हेतु।

dl 21/08
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

:: संशोधित आदेश ::


भोपाल, दिनांक 25/08/2020

क्रमांक 1034/2344/2020/38/1 :: विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 21.08.2020 द्वारा डॉ. श्रीमती शोभा सुद्रास, प्राचार्य, शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय, देवास को शासकीय महाविद्यालय, अलीराजपुर में स्थानांतरित किया गया है।

2/ आदेश की पृष्ठांकन प्रतिलिपि में सरल क्रमांक 8 पर 'क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग, उज्जैन' जोड़ा जा रहा है। शेष यथावत रहेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


(श्वेता पवार)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन


उच्च शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 25/08/2020

पृ.क्रमांक 1035/2344/2020/38/1

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
 2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र., भोपाल,
 3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इंदौर संभाग इंदौर,
 4. जिला कोषालय अधिकारी, अलीराजपुर,
 5. प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, अलीराजपुर,
 6. डॉ. श्रीमती शोभा सुद्रास, प्राचार्य, शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय, देवास,
 7. गार्ड फाईल,
 8. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग, उज्जैन,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

उच्च शिक्षा विभाग